न्यायालय–ठाकुर अमन कुमार जि0 एवं अ0 स0 न्या0, तृतीय, पूर्णियॉ	बायसी थाना काण्ड संख्या–121 / 2025 धारा 127(1),115(2),118(1),109,303(2),351,352,3(5) बीएनएस अनवारूल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य

न्यायालय – तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पूर्णियॉ
जमानत आवेदन संख्या –249 / 2026
सी.आई.एस. संख्या – 249 / 2026

12.03.2026– दिनांक–22.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में काराधीन अभियुक्त **अनवारूल** की ओर से बायसी थाना काण्ड संख्या–121 / 2025, अंर्तगत धारा 127(1), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 351, 352, 3(5) बीएनएस में श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत आवेदन दिनांक–02.03.2026 को दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को सेवित की गयी है तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार स्थानान्तरित होकर दिनांक–06.03.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

2. आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अंजन कुमार मिश्रा एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अजय सिंह को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक की ओर से कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरूद्ध अभियोग झूठा एवं बनावटी है। आवेदक को ग्रामीण राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध आरोपित अभियोग नहीं बनता है। आवेदक द्वारा न ही मोबाईल छीनी गयी है और न ही सूचक की कार को छतिग्रस्त किया गया है। आवेदक ने सूचक को जख्मी नहीं किया है। आवेदक के विरूद्ध कोई विशि ट अभियोग नहीं लगाया गया है। आवेदक न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय।

4. सूचक आदिल सहजाद के टंकित आवेदन के आलोक में अभियोजनवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि एक माह पूर्व सूचक की आर्ट्रिगा चार पहिया वाहन को फरहान ने नवाबगंज में गाड़ी तोड़ दिया था, उसकी क्षति के बदले 135000 / – रूपया दिनांक 14.04.2025 को देने का वादा किया था। सूचक दिनांक 14.04.2025 को समय 6 बजे संध्या में अपना रूपया लेने के लिए फरहान के घर पर गया तो अचानक फरहान, अनवरी, फातमा, अजहर, अनवारूल, तौकीर, अनवारूल की पत्नी सभी गाली–गलौज करने लगा और मारपीट करने लगा और सूचक का मोबाइल छीन लिया। मोबाइल के पे फोन में से 75 हजार रूपया है। कुल्हाड़ी से माथे पर मारकर घायल कर दिया और सूचक का गला दबाकर जान मारने लगा और मारपीट कर रास्ते में फेंक दिया। सूचक की चाची गुलसबा, उसकी मामी एवं ग्रामीणों के सहयोग से रास्ते से उठाकर इलाज करवाया और घर पहुंचाया।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के जमानत का विरोध किया गया।

6. उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्त पर अभियोग है कि सूचक की कार को क्षतिग्रस्त किया जिसके मुआवजे हेतु रूपया मांगने को लेकर हुए विवाद में गाली–गलौज किया, मारपीट कर जख्मी किया। वाद की सुनवाई के अद्यतन काण्ड दैनिकी की मांग की गयी जो प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता हैकि जख्मी मो0 आदिल शहजादा का जख्म साधारण प्रकृति का पाया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 22.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

न्यायालय–ठाकुर अमन कुमार जि0 एवं अ0 स0 न्या0, तृतीय, पूर्णियॉ	बायसी थाना काण्ड संख्या–121 / 2025 धारा 127(1),115(2),118(1),109,303(2),351,352,3(5) बीएनएस अनवारूल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य

न्यायालय – तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पूर्णियॉ
जमानत आवेदन संख्या –249 / 2026
सी.आई.एस. संख्या – 249 / 2026

7. वाद की उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा अभियुक्त द्वारा कारा में बिताये गये अवधि को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक अभियुक्त **अनवारूल** को मो0–10,000 / – रूपये के तथा इतने ही राशि के दो समान प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

दिनांक–12.03.2026

(लेखापित)
ह0 / –
(ठाकुर अमन कुमार)
तृतीय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
पूर्णियॉ।

–